झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

तृतीय झारखण्ड विधान सभा | दशम् (शीतकालीन) सत्र

संख्या–05 | बृहस्पतिवार, दिनांक– 06 दिसम्बर, 2012 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.45 बजे अपराह्न तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्य विभिन्न माँगों को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये आसन द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि माननीय सदस्यों की बातें 12.00 बजे मध्याह्न के बाद सुनी जायेगी।

ii- श्री साईमन मराण्डी, स० वि० स० ने दो दिनों तक सदन बाधित रहने के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी माँगी।

iii- श्री समरेश सिंह, स० वि० स० ने राँची सहित अन्य शहरों में जलापूर्ति का मामला उठाया।

iv- श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० ने आज दिनांक- 06.12.2012 के लिए जारी औपबंधिक कार्यक्रम पर आपत्ति जतायी और निजी हाथों में बिजली व्यवस्था सौंपे जाने के सम्बन्ध में लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय सदस्य, श्री कृष्णानंद त्रिपाठी भी अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ कहना चाह रहे थे, परन्तु आसन द्वारा प्रश्नकाल चलने देने की अपील की गयी।

v- माननीय सदस्य श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री अरुप चटर्जी ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा श्री लोबिन हेम्ब्रम, स० वि० स० ने गत दिनों सदन का बाधित रहना दु:खद बताया ।

2.प्रश्नकाल :-

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(I) कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–36

(क) उत्तरित कुल–02 (अ० सू०-67, श्री बन्ना गुप्ता, स० वि० स०, अ० सू०-68, श्रीमती सीता सोरेन, स० वि० स०, अ० सू०-69, माननीय सदस्य श्री जायप्रकाश सिंह भोक्ता का मात्र **putup** हुआ)।

(ख) अनागत कुल-33 (अ० सू०- 70 से लेकर अ० सू०- 102 तक)।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव ने प्रश्नों की गलत उत्तर दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन ने इसपर विशेषाधिकार हनन की सूचना लाये जाने का निदेश दिया।)

(II) कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–56

(क) **उत्तरित कुल**-05 (तारां०-121, श्रीमती गीता कोड़ा, स० वि० स०, तारां०-122, श्री दीपक बिरूवा, स० वि० स० एवं तारां०-123, श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स०, तारां०- 125, श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स० वि० स० की अनुपस्थिति में आसन के निदेश से उत्तरित हुआ एवं तारां०- 126, श्री योगेन्द्र साव)

(ख) **अपृष्ठ कुल**-01(तारां०-124, श्री निजामद्दीन अंसारी, स० वि० स०)।

(ग) **अनागत कुल**-50 (तारां०-127 से तारां०-176 तक)।

3. विविध चर्चायें(क्रमांक-1 से जारी):-

i- माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की ने झारखण्ड सरकार द्वारा बनायी गयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर नियमापत्ति उठायी और स्थानीय लोगों के लिए अहितकर बताया। इन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बनी नियमावली का उदाहरण पेश कर झारखण्ड में भी इसी प्रकार की नियमावली बनाये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया,

ii- माननीय सदस्य श्री रघुवर दास ने झारखण्ड राज्य गठन के 12वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी स्थानीयता नीति नही बनाये जाने को दुःखद बताया।

iii- माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने बिहार राज्य का मिसाल देते हुए बताया कि वहाँ 95प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए नियोजनों में स्थान सुरक्षित है, लेकिन झारखण्ड राज्य में ऐसा नहीं होने से यहाँ के लोग नियोजन से वंचित हो रहे है। इसपर प्रभारी मंत्री श्री वैद्यनाथ राम एवं उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो द्वारा आसन के निदेश से वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी।

iv- माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी निकाले गये विज्ञापन को तत्काल रद्द करने की माँग की। आसन द्वारा सदन की भावना को देखते हुए सरकार को इसे संज्ञान में लिये जाने का निदेश दिया गया।

v- माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में उठे गतिरोध के लिए राज्य के मुख्य सचिव को जिम्मेवार बताया और उन्हें पद से हटाने की माँग की।

vii- माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने बिजली समस्या पर बहस के लिये समय दिये जाने हेतु आसन से आग्रह किया।

vii- माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक ने झारखण्ड राज्य के गृह रक्षा वाहिनी द्वारा विधान सभा के बाहर अपनी पाँच सूत्री माँगों को लेकर बैठे हुए धरने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन द्वारा प्रभारी मंत्री को इसे संज्ञान में लिये जाने हेतु निदेश दिया गया।

4. ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं उसपर सरकारी वक्तव्यः-

माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

5. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाः-

माननीय सदस्य श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, श्री समरेश सिंह, श्री अरुप चटर्जी, श्रीमती गीताश्री उरांव एवं श्री ढुलू महतो द्वारा आसन के निदेश से अपने-अपने द्वारा प्रस्तुत कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें पढ़ी गयी।

(इस अवसर पर विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये घोर विद्युत संकट के सम्बन्ध में आसन के निदेश पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी।)

6. निवेदनः-

दिनांक- 30.11.2012 को प्राप्त तीन, दिनांक- 03.12.2012 को नौ एवं दिनांक- 04.12.2012 को नौ कुल प्राप्त इक्कीस निवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी।

7. प्रतिवेदन का उपस्थापनः-

क. पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सभापति द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का **27वाँ प्रतिवेदन** सदन पटल पर रखा गया।

ख. पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सभापति द्वारा निवेदन समिति का **एकादश, द्वादश एवं त्रयोदश प्रतिवेदन** सभा पटल पर रखा गया।

8. सभा मेज पर कागजात का रखा जानाः-

क. पुकारे जाने पर श्री वैद्यनाथ राम, प्रभारी मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम- 2001 की धारा- 12(6) एवं (7) के अधीन झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त वर्ष- 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

ख. पुकारे जाने पर श्री गोपाल कृष्ण पातर, प्रभारी मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा झारखण्ड शराब (देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं वाईन सहित) थोक बिक्री नियमावली, 2012 एवं भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के झारखण्ड राज्य में आयात वितरणकर्त्ता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

(अन्तराल के बाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर राज्य में उत्पन्न घोर बिजली संकट की ओर माननीय नेता, प्रतिपक्ष सहित माननीय सदस्य सर्वश्री रघुवर दास, साईमन मराण्डी एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने हेतु निदेश दिया।)

9.विधायी कार्य:-

क. उषा मार्टिन विश्वविद्यालय झारखण्ड विधेयक, 2012

माननीय प्रभारी मंत्री श्री वैद्यनाथ राम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से लेकर 52 तक, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की एवं माननीया सदस्या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय झारखण्ड विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ख. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यलय (संशोधन) विधेयक, 2012

माननीय प्रभारी मंत्री श्री वैद्यनाथ राम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड- 1 प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यलय (संशोधन) विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

10.गैर सरकारी संकल्प :-

आज के लिए निर्धारित गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी और नियमानुसार वापस ली गयी-

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,

श्री रामदास सोरेन,

श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,

श्रीमती सुधा चौधरी,

श्री शशांक शेखर भोक्ता,

श्री सौरभ नारायण सिंह,

(इस अवसर पर माननीया सभापति श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आसन ग्रहण किया।)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी (माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव के बदले)

श्री विद्युत वरण महतो,

श्री बिनोद कुमार सिंह,

श्री अरुप चटर्जी;

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,

श्री संजय कुमार सिंह यादव,

श्री अनन्त प्रताप देव,

श्री बंधु तिर्की,

श्री जनार्दन पासवान,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री दीपक बिरुवा,

श्री अमित कुमार यादव एवं

श्री योगेन्द्र साव।

इसके पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी वक्तव्य दिये जाने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने समापन भाषण पढ़ा तदुपरांत सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

रॉंची,
दिनांक- 6 दिसम्बर, 2012

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।